

संख्या: 1:05:138:II:सीएस

दिनांक: 12.02.2025

<p><b>National Stock Exchange of India Ltd,</b> Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) <b>MUMBAI – 400 051.</b></p> <p>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई - 400 051.</p>	<p><b>BSE Limited,</b> Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, <b>MUMBAI – 400 001.</b></p> <p>बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, फ्लोर - 25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001.</p>
--	--

**विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना।**

महोदया/महोदय,

दिनांक 06.02.2025 और 07.02.2025 के हमारे पिछले संचार के क्रम में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज यानि 12.02.2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदित किया है:

- 31.12.2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित)

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, कृपया 31.12.2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) के साथ-साथ संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों यानी ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा संलग्न सीमित समीक्षा रिपोर्ट देखें।

इसके अलावा, 31 दिसंबर 2024 के सेबी परिपत्र संख्या सेबीएचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 के अनुसार, बीएसई परिपत्र संख्या 20250102-4 और एनएसई परिपत्र संख्या एनएसई/सीएमएल/2025/02, दोनों दिनांक 2 जनवरी 2025 के साथ पठित, हम 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एकीकृत फाइलिंग (वित्तीय) प्रस्तुत कर रहे हैं।

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्येक Z10/- के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर रु. 3.50/- (केवल तीन पैसे पचास रुपये) प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात @ 35%) (टीडीएस की कटौती के अधीन) की दर से तीसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से 28.02.2025 (शुक्रवार) को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में माना जाएगा।

उपर्युक्त तृतीय अंतरिम लाभांश के भुगतान/प्रेषण की तारीख 11.03.2025 को या उससे पहले होगी।

आगे यह उल्लेख करना है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों कर योग्य है और कंपनी को उस समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर लाभांश का भुगतान करना। हालाँकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या कोई कर नहीं काटा जाए। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, तो उसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पैन की स्कैन की हुई प्रति, फॉर्म 15जी/1एसएच और अन्य आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित लिंक पर जमा करने चाहिए:

<https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q-0>

बोर्ड बैठक अपराह्न 11 :00 बजे आरंभ हुई और दोपहर 12 :50 पर समाप्त हो गई।  
यह आपकी जानकारी एवं प्रसार हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,  
पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  
(मनीष कुमार अग्रवाल)  
कंपनी सचिव एवं  
अनुपालन अधिकारी  
[mk\\_agarwal@pfcindia.com](mailto:mk_agarwal@pfcindia.com)